जीसीएमएस नबंर:-2012/00032

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी: सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0

60/2012

1. धर्मपाल पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट निवासी धिंगतानीया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. पृथ्वीराज पुत्र श्री लालूराम जाति विश्नोई निवासी धिंगतानीया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

साकिन धिंगतानिया

1. गाड सिंह पुत्र गणेश सिंह जाति राजपूत।
2. जगदीश पुत्र श्री कलवन्त सिंह जाति राजपूत
3. लाल सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति राजपूत
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री लालचन्द जाति नायक।
5. हंसराज पुत्र श्री सांवलराम जाति बाजीगर।
6. कालुराम पुत्र श्री भागीराम जाति बाजीगर।
7. रामकुमार पुत्र श्री लीलूराम जाति बाजीगर।
8. रामकुमार पुत्र श्री माधों सिंह जाति राजपूत।
9. धर्मसिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह जाति राजपूत।
10. दलीप कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति नाई।
11. ओमप्रकाश पुत्र श्री पिरथीराज जाति जाट।
12. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह जाति राजपूत।
13. भाग सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत।
14. भूर सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत।
15. लेखराम पुत्र श्री ईशर राम जाति जाट।
16. हेतराम पुत्र श्री भादर राम जाति सुथार।
17. फूल सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत।
18. हनुमान पुत्र श्री लेखराम जाति जाट।
19. चिमन सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति राजपूत।
20. रिछपाल पुत्र श्री जोर जी जाति राजपूत।
21. कृष्णसिंह पुत्र श्री गणेश सिंह जाति राजपूत।
22. ओमसिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह जाति राजपूत।
23. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट।

साकिन धिंगतानिया
तहसील सादुलशहर
जिला श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

24. मोती सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति राजपूत।
25. कालू सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति राजपूत।
26. रायसिंह पुत्र श्री भूर सिंह जाति राजपूत।
27. महावीर सिंह पुत्र श्री भूरसिंह जाति राजपूत।
28. रघुवीर सिंह पुत्र श्री दूल सिंह जाति राजपूत।
29. माल सिंह पुत्र श्री मल सिंह जाति राजपूत।
30. मूल सिंह पुत्र श्री गणेश सिंह जाति राजपूत।
31. साहबराम पुत्र श्री सांवलराम जाति बाजीगर।
32. चन्द सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति राजपूत।
33. भगवान सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति राजपूत।
34. दलीप सिंह पुत्र श्री गणेश सिंह जाति राजपूत।
35. लीलू सिंह पुत्र श्री माधो सिंह जाति राजपूत।
36. महावीर सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत।
37. गोरूसिंह पुत्र श्री हरलाल सिंह जाति राजपूत।
38. मोहर सिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत।
39. महावीर सिंह पुत्र श्री श्रीराम जाति बिश्नोई।
40. रामकुमार पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई।

40/1 शोपारी देवी	पत्नी
40/2 राजकमल	पुत्र
40/3 अनील कुमार	पुत्र
40/3 सुरेन्द्र कुमार	पुत्र

41. कलवन्त सिंह पुत्र श्री अर्जन सिंह जाति राजपूत।
42. झावरी कंवर पत्नी श्री बख्तावर सिंह जाति राजपूत।
43. जगदीश पुत्र श्री मोती सिंह जाति राजपूत।
44. हनुमान पुत्र श्री मोती सिंह जाति राजपूत।
45. जगदीश पुत्र श्री सुन्दरराम जाति बिश्नोई।
46. भौमसिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति राजपूत।
47. बस्तीराम पुत्र श्री मामचन्द जाति मेघवाल।
48. मदन लाल पुत्र श्री कानाराम जाति मेघवाल।
49. मोहन लाल पुत्र श्री हीराराम जाति मेघवाल।
50. नरसी पुत्र श्री कानाराम जाति मेघवाल।
51. जगदीश पुत्र माधो सिंह जाति राजपूत।
52. रेड़ाराम पुत्र श्री शोभाराम जाति ओड़।
53. सुभान खां पुत्र पठान खॉ जाति मुसलमान

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

54. ...
55. अदरीश खां पुत्र श्री रमजान खां जाति मुसलमान।
56. हरलाल सिंह–विजय सिंह पुत्र श्री हजारी सिंह जाति राजपूत।
57. सरपंच ग्राम पंचायत नूरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
58. विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत नूरपूरा पंचायत समिति सादुलशहर प्रस्ताव संख्या 01 बैठक दिनांक 05.12.04 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा किया अनुमोदन बमुराद मनसूखिया निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम।

उपस्थित :

1. श्री देवेन्द्र भारद्वाज, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2,4 ता 9,11,12 14 ता 18, 21 ता 25, 27 ता 39, 41 ता 43, 45 ता 48, 51 ता 56
3. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या– 58
4. श्री कुलवन्त सिंह सिधू गैरनिगरानीकर्ता संख्या –57

:: **आदेश** :: दिनांक: 19.05.2026

निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रार्थी ग्राम पंचायत नूरपुरा के गांव धिंगतानीया का निवासी है और राज्य सरकार के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निगरानी पेश कर रहा है। पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान को भी स्वयं शक्तियां निहित की गई है कि राज्य सरकार के हितों को रखते हुए स्वतः अपने स्तर पर ही ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 द्वारा किये गये आवंटन जो प्रार्थी संख्या 01 ता 56 को किये गये है उनकी वैधता की स्वयं जांच करके पट्टे उनको आवंटित किए गए उनको निरस्त करके नकल प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 सलंग्न है और इस प्रस्ताव द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 56 को किए गए आवंटन निरस्त किये जावें।
2. यह कि ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा पंचायत अधिनियम के बने नियमों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 56 को जो

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

54. रसीद खां पुत्र वरियाम खां जाति मुसलमान
55. अदरीश खां पुत्र श्री रमजान खां जाति मुसलमान।
56. हरलाल सिंह–विजय सिंह पुत्र श्री हजारी सिंह
जाति राजपूत।
57. सरपंच ग्राम पंचायत नूरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
58. विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व ग्राम पंचायत नूरपूरा पंचायत समिति सादुलशहर प्रस्ताव संख्या 01 बैठक दिनांक 05.12.04 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा किया अनुमोदन बमुराद मनसूखिया निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम।

उपस्थित :
1. श्री देवेन्द्र भारद्वाज, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2,4 ता 9,11,12 14 ता 18, 21 ता 25, 27 ता 39, 41 ता 43, 45 ता 48, 51 ता 56
3. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या– 58
4. श्री कुलवन्त सिंह सिधू गैरनिगरानीकर्ता संख्या –57

:: **आदेश** :: दिनांक: 19.05.2026

निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रार्थी ग्राम पंचायत नूरपुरा के गांव धिंगतानीया का निवासी है और राज्य सरकार के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निगरानी पेश कर रहा है। पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान को भी स्वयं शक्तियां निहित की गई है कि राज्य सरकार के हितों को रखते हुए स्वतः अपने स्तर पर ही ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 द्वारा किये गये आवंटन जो प्रार्थी संख्या 01 ता 56 को किये गये है उनकी वैधता की स्वयं जांच करके पट्टे उनको आवंटित किए गए उनको निरस्त करके नकल प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 सलंग्न है और इस प्रस्ताव द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 56 को किए गए आवंटन निरस्त किये जावें।
2. यह कि ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा पंचायत अधिनियम के बने नियमों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 56 को जो

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवंटन किये गये है वे विधि विरूद्ध व साजिश है ग्राम पंचायत द्वारा विधिनुसार ना तो कोई कार्यवाही की और ना ही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 56 से विधिनुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे और ना ही उन पर जांच की गई। इस प्रकार समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व पारित की गई है।

3. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 में यह भी उल्लेखित किया गया है कि अप्रार्थी से अनुमोदन लिया गया है जबकि कोई अनुमोदन विधिनुसार नहीं लिया गया है। प्रस्ताव संख्या 1 में अंकित तिथियों से भी स्पष्ट होता है कि समस्त कार्यावाही विधि विरूद्व की गई है।
4. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 56 को आवंटन करने का ग्राम पंचायत का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 57 व 58 द्वारा किये गये आवंटन स्वतः ही गैरकानूनी है।
5. यह कि अप्रार्थी संख्या 57 ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन करने से पूर्व आवंटी संख्या 1 ता 56 की पात्रता की जांच नहीं की गई है और एक ही प्रस्ताव से समस्त विधि विरूद्व प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 56 को जो रियायती आवंटन किये गये है वे विधि विरूद्व है।
6. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 56 रियायती आवंटन करवाने में कतई अधिकारी नहीं थे इसलिए प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 05.12.04 द्वारा रियायती आवंटन कार्यवाही पंचायत अधिकारी के विरूद्व की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 56 रियायती आवंटन करवाने के पात्र नहीं थे फिर भी उन्हें साजशीतौर पर रियायती आवंटन किया गया है।
7. यह कि ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा राज्य सरकार को नुकसान पहुॅचाने की गर्ज से जोहड़ पायतन व स्कूल ग्राऊंड जो बच्चों के खेलने के काम आता था उसको भी गैरकानूनी रूप से आवंटित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

लिहाजा निगरानी पेश करके निवेदन है कि प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 ता 56 को किये गये आवंटन निरस्त किए जावें।

निगरानी प्रकरण संख्या 69/07 अनवानी धर्मपाल वगैरा बनाम गाड सिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.11.2007 के विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा एस.बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 8057/2007 जो माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर में पेश की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा प्रकरण पुनः अपने निर्णय दिनांक 19.04.2012 द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर बाद रिपोर्ट नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता को

अति० जिला कलक्टर (प्र०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया।

श्रीमती पुष्पादेवी , सरपंच ग्राम पंचायत नूरपुरा पंचायत समिति, सादुलशहर द्वारा दिनांक 23.02.2013 द्वारा चाही गई रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की:—

ग्राम पंचायत नूरपुरा के गांव धिंगतानीयां का मूल नक्शा एक अन्य प्रकरण में श्रीमान अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर की अदालत में जमा है । मौके पर गांव धिंगतानीयां में अप्रार्थी संख्या 4 से 59 को ग्राम पंचायत नुरपुरा के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2024 द्वारा आंवटित भूखण्डो के स्थान पर वर्तमान में खेल मैदान है तथा गांव के युवक वहां किक्रेट आदि खेलते है।

तहसीलदार सादुलशहर से मौका की रिपोर्ट चाही गई जो उनके पत्र क्रमांक :— रीडर/2015/866 दिनांक 11.05.2015 से निम्नानुसार प्राप्त हुई :—

चक 15 के.एस.डी. के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 13 ता 18 व 24 मुताबिक जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में जोहड़ पायतन दर्ज है। वर्तमान स्थिति मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 13 में निर्माण किया हुआ व किला नम्बर 14,15 में वाटरवर्क्स बना हुआ है, किला नम्बर 16,17 के आदे में चार दिवारी व आदे में निर्माण किया हुआ है, किला नम्बर 24 निर्माण किया हुआ है, किला नम्बर 18 में शमशान है। मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 6,5,16 व मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 10,11,19,20 में रिकॉर्ड जमाबंदी में शमशान भूमि दर्ज है वर्तमान स्थिति मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 5,6,15,16 का आधा व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1,10,11,18,19,20 में शमशान भूमि की चारदिवारी बनी हुई है। वर्तमान स्थिति में मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 8,9,12 में मौके पर निर्माण किया हुआ है व किला नम्बर 16 के आधा में हडड़ारोड़ी बनी हुई है। मुताबिक रिकॉर्ड मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 8,9,12 में हडड़ारोड़ी दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी में मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 ता 7 , मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 5 में आबादी भूमि दर्ज है। वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 5 व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 में शमशान भूमि की चारदिवारी बनी है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2,3 में आबादी का निर्माण है, मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 4 ता 7 में वाटरवर्क्स बना हुआ है , मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 8,9,12 ता 13 में निर्माण किया हुआ है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्तागण ग्राम पंचायत नूरपुरा के गांव धिंगतानीया के निवासी है और राज्य सरकार के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निगरानी पेश कर रहे है। पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान को भी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

स्वयं शक्तियां निहित की गई है कि राज्य सरकार के हितों को रखते हुए स्वतः अपने स्तर पर ही ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 द्वारा किये गये आवंटन जो गैरनिगरानीकर्तागण संख्या 01 ता 56 को किये गये है उनकी वैधता की स्वयं जांच करके जो पट्टे उनको आवंटित किए गए उस प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 को निरस्त किया जावें। ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा पंचायत राज अधिनियम के तहत बने नियमों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 56 को जो आवंटन किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिनुसार ना तो कोई कार्यवाही की और ना ही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 56 से विधिनुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त किये और ना ही उन पर जांच की गई। इस प्रकार समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व पारित की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 में यह भी उल्लेख किया है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या–58 विकास अधिकारी, प0स0 सादुलशहर से अनुमोदन लिया गया है जबकि कोई अनुमोदन विधिनुसार नहीं लिया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–57 ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन करने से पूर्व गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 56 की पात्रता की जांच नहीं की गई है और एक ही प्रस्ताव से समस्त विधि विरूद्व प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 56 को जो रियायती आवंटन किये गये है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 56 रियायती आवंटन करवाने के पात्र नहीं थे फिर भी उन्हें साजशीतौर पर रियायती दर पर आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा राज्य सरकार को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से जोहड़ पायतन व स्कूल ग्राऊंड जो बच्चों के खेलने के काम आता था उसको भी गैरकानूनी रूप से आवंटित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा निगरानी पेश करके निवेदन है कि प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ता 56 को किया गया आवंटन निरस्त किए जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्तागण दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए और न ही आदेश की दिनांक तक कोई लिखित बहस पेश की है और ना ही मौखिक बहस पेश की है।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या –57 ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 द्वारा गैरनिगरानीकर्तागण संख्या 01 ता 56 को किये गये आवंटन के विरूद्व पेश की है। उक्त प्रस्ताव के विरूद्व पूर्व में निगरानी प्रकरण संख्या 130/2005 अनवानी तेजासिंह वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत नुरपूरा व अन्य में निर्णय दिनांक 28.09.2007 को पारित कर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की गई है एवं उसके बाद निगरानी प्रकरण संख्या 69/2007 अनवानी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

धर्मपाल सिंह वगैरा बनाम गाड सिंह वगैरा निर्णय दिनांक 29.11.07 द्वारा निगरानी खारिज की जा चुकी है। निगरानी प्रकरण संख्या 69/2007 के निर्णय दिनांक 29.11.2007 के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा एस.बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 8057/2007 जो माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर में पेश की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा प्रकरण पुनः अपने निर्णय दिनांक 19.04.2012 द्वारा रिमाण्ड किये जाने पुनः सुनवाई की जा रही है। पूर्व में निगरानी प्रकरण संख्या 130/2005 एवं 69/2007 में माननीय न्यायालय द्वारा विधिनुसार पूर्ण सुनवाई कर गुणदोष के आधार पर निर्णय किये गये है जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दु ग्राम पंचायत का नक्शा विधि सम्मत नहीं है सही नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत की आबादी के नक्शे पर सरपंच , सचिव, एवं विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है। इस सम्बन्ध में यदि ग्रामवासियों को काई आपत्ति थी तो वह आबादी नक्शे के सार्वजनिक होने पर की जानी चाहिए थी, इस आपत्ति का इस स्टेज पर कोई औचित्य नहीं है। यह तर्क कि आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है, सही नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर पंचायत समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही गैरनिगरानीकर्तागण को पट्टे जारी किए गए है। जहां तक यह बिन्दु की उक्त भूमि जोहड पायतन की है सही नहीं है क्योंकि सरपंच ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट में यह कहीं अंकन नहीं किया है कि प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 द्वारा गैरनिगरानीकर्तागण संख्या 01 ता 56 को किये गये आवंटन जोहड़ पायतन की भूमि का है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता ने निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 द्वारा किये गये आवंटन जो गैरनिगरानीकर्तागण संख्या 01 ता 56 को किये गये है के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट दिनांक 23.02.2013 सरपंच ग्राम पंचायत **"नूरपुरा के गांव धिंगतानीयां का मूल नक्शा एक अन्य प्रकरण में श्रीमान अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर की अदालत में जमा है। मौके पर गांव धिंगतानीयां में अप्रार्थी संख्या 4 से 59 को ग्राम पंचायत नुरपुरा के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2024 द्वारा आंवटित भूखण्डो के स्थान पर वर्तमान में खेल मैदान है तथा गांव के युवक वहां किक्रेट आदि खेलते है एवं तहसीलदार रिपोर्ट रीडर/2015/866 दिनांक 11.05.2015 द्वारा चक 15 के.एस.डी. के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 13 ता 18 व 24 मुताबिक जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में जोहड़**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पायतन दर्ज है। वर्तमान स्थिति मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 13 में निर्माण किया हुआ व किला नम्बर 14,15 में वाटरवर्क्स बना हुआ है, किला नम्बर 16,17 के आदे में चार दिवारी व आदे में निर्माण किया हुआ है, किला नम्बर 24 निर्माण किया हुआ है, किला नम्बर 18 में शमशान है। मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 6,5,16 व मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 10,11,19,20 में रिकॉर्ड जमाबंदी में शमशान भूमि दर्ज है वर्तमान स्थिति मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 5,6,15,16 का आधा व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1,10,11,18,19,20 में शमशान भूमि की चारदिवारी बनी हुई है। वर्तमान स्थिति में मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 8,9,12 में मौके पर निर्माण किया हुआ है व किला नम्बर 16 के आधा में हडड़ारोड़ी बनी हुई है। मुताबिक रिकॉर्ड मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 8,9,12 में हडड़ारोड़ी दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी में मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 ता 7 , मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 5 में आबादी भूमि दर्ज है। वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 5 व मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 में शमशान भूमि की चारदिवारी बनी है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2,3 में आबादी का निर्माण है, मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 4 ता 7 में वाटरवर्क्स बना हुआ है , मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 8,9,12 ता 13 में निर्माण किया हुआ है।''

उक्त दोनो रिपोर्ट में यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत नूरपुरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 द्वारा किया गया आवंटन जो गैरनिगरानीकर्तागण संख्या 01 ता 56 को किया गया है, जोहड़ पायतन की भूमि पर है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह जरूर अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 4 से 59 को ग्राम पंचायत नुरपुरा के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05. 12.2024 द्वारा आंवटित भूखण्डो के स्थान पर वर्तमान में खेल मैदान है तथा गांव के युवक वहां किक्रेट आदि खेलते है। पूर्व निगरानी प्रकरण संख्या 130/2005 एवं 69/2007 में माननीय न्यायालय द्वारा विधिनुसार पूर्ण सुनवाई कर गुणदोष के आधार पर निर्णय किये गये है जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दु ग्राम पंचायत का नक्शा विधि सम्मत नहीं है सही नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत की आबादी के नक्शे पर सरपंच , सचिव, एवं विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है। इस सम्बन्ध में यदि ग्रामवासियों को काई आपत्ति थी तो वह आबादी नक्शे के सार्वजनिक होने पर की जानी चाहिए थी, इस आपत्ति का इस स्टेज पर कोई औचित्य नहीं है। यह तर्क कि आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है, सही नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर पंचायत समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही गैरनिगरानीकर्तागण को पट्टे जारी किए गए हैं। फिर भी न्याय की दृष्टि से उक्त पट्टे जोहड़पायतन में है या नहीं ? की जांच विकास अधिकारी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत समिति सादुलशहर से कमेटी गठित कर करवाई जानी उचित है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विवादित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.12.2004 द्वारा किया गया आवंटन जो गैरनिगरानीकर्तागण संख्या 01 ता 56 को किया गया है जिसके उपरान्त उनको पट्टे जारी किये गये है के सम्बन्ध में स्वयं के नेतृत्व में कमेटी गठित कर जांच करें। दोनो पक्षो की उपस्थिति में सुनवाई करते हुए उक्त विवादित पट्टो का निस्तारण करें। आदेश की प्रति मय रिकार्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जावे एवं आदेश की प्रति पालनार्थ विकास अधिकारी पंचायत समिति, सादुलशहर को भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुभाष कुमार)

अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner